फर्द अहकाम

अज अदालत अति0 जिला मजिस्ट्रेट.........मुकाम ....टोंक ....

सरकार जरिये थानाधिकारी उनियारा..........................बनाम .... अनिस अहमद

किस्म मुकदमा...............गुण्डा एक्ट ..नं0......... 12.............सन.... 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/10/18	आज यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना उनियारा ने अभियोजन अधिकारी टोंक के माध्यम से गैर सायल अनिस अहमद पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान फकिर निवासी वार्ड नं04 उनियारा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 पेश कर निवेदन किया कि बाद समाअत सलूक कानूनी फरमाया जाकर गैर सायल को जिला हाजा से अन्य जिले में निष्कासित करने की कृपा करें। हमने प्रस्तुत इस्तगासे का अवलोकन किया, गैर सायल के विरूद्ध अंकित रिकॉर्ड अनुसार 4 अभियोग जुआ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुए है, जिसमे 3 अभियोग मे सजा हो चुकी है, 1 अभियोग जेर तजवीज है। गैर सायल जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। अतः इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। पत्रावली दिनांक 16.11.2018 को पेश हो। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक	क्र0 621 30-10-18
16/11/18	जिला अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। P.P. आज अवकाश पर है। APP व उक्त गैर सायल को जरिये सम्मन [illegible] मिला। आदेश तामील अप्राप्त। पत्रावली साविक क्रम [illegible] दिनांक 19-11-18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

30/11/18 APP उप. अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन प्राप्त। अभियुक्त की तामिल नहीं हुई है। अभियुक्त की तलबी परिवर्तित सम्मन कि बाबत पत्रावली दिनांक 21-12-18 को पेश हो। | क्र. 998 14/12/18

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

21/12/18 APP उप. अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन प्राप्त। अभियुक्त की तामिल नहीं हुई है। अभियुक्त की तलबी परिवर्तित सम्मन कि बाबत पत्रावली दिनांक 7-2-19 को पेश हो। | 1237 21/12/18

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

7/2/19 जिला अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। APP उप. अभियुक्त के विरुद्ध वारंट प्राप्त। अभियुक्त की तामिल नहीं हुई है। पुनः तलबी सम्मन अभियुक्त विरुद्ध पुलिस अधीक्षक टोंक कि बाबत पत्रावली दिनांक 28-2-19 को पेश हो। | 205/25 11/2/19

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

28/2/19 APP एवं अभियुक्त उप. अभियुक्त को आरोप अभियोग पत्र पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा बचाव पेश करने से भी इन्कार किया।

P.S.O.

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] एवं गोपनीय रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत इस्तगासा [illegible] कर गोपनीय की दिनांक 28-3-19 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना उनियारा जिला टोंक से पुलिस थाना पुराना टोंक जिला टोंक के लिए निष्कासित किया गया। किन्तु पूर्व से निष्कासन [illegible] जारी किया गया। पत्रावली कार्यालय मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो	अंतिम आदेश क्रम 435-438 1-3-19

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner